



पत्रांक: 2400 / 241 / NULM / तीन / 2001 (SUH) VOL-III

दिनांक- 03/9/15

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,  
जिला नगरीय विकास अभिकरण  
उत्तर प्रदेश।

2. परियोजना निदेशक/सिटी प्रोजेक्ट आफिसर, शहर मिशन प्रबन्धन इकाई

आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, वाराणसी, सहारनपुर, कानपुर नगर, मुरादाबाद, बरेली, गोरखपुर, झांसी, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, लोनी, मोदीनगर (गाजियाबाद), अकबरपुर (अम्बेडकरनगर), अमरोहा, आजमगढ़, बदायूँ, बहराइच, बलिया, बांदा, बस्ती, बुलन्दशहर, खुर्जा, सम्भल, चदौसी, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, मुगलसराय, बडौत (बगपत), देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, गाजीपुर, गोण्डा, हापुड़, हरदोई, हाथरस, उरई, जौनपुर, कासगंज, लखीमपुरखीरी, ललितपुर, महाराजगंज, मैनपुरी, मथुरा, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, रायबरेली, रामपुर, शाहजहांपुर, शामली, सीतापुर, सुल्तानपुर, उन्नाव, औरैया, बागपत, बलरामपुर, नवाबगंज (बाराबंकी), चित्रकूट धाम कर्वी, दादरी (गौतमबुद्धनगर), हमीरपुर, बिजनौर, कन्नौज, पडरौना (कुशीनगर), गहोबा, मऊ, प्रतापगढ़, खलीलाबाद (संतकबीरनगर), सिद्धार्थनगर, राबटसगंज (सोनमद्र), अमेठी, ज्ञानपुर (भदोही), चन्दौली, अकबरपुर (कानपुर देहात), मंडानपुर (कौशाम्बी) तथा भिनगा (श्रावस्ती)।

विषय:-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक "शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजनानतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के आगामी किशतों के अवमुक्त हेतु प्रपत्र के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने शहर हेतु राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा शहरी बेघरों हेतु स्वीकृत परियोजना का सन्दर्भ ग्रहण करें।

राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा परियोजना स्वीकृत के उपरान्त योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष प्रथम किशत के रूप 40% धनराशि राज्य मिशन प्रबन्धन इकाई (SMMU) सूडा, उ०प्र० द्वारा सम्बन्धित शहरों को अवमुक्त की जा चुकी है। स्वीकृत परियोजनाओं पर तेजी से गुणवत्ता आधारित निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किया जाना है तथा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष 70% उपभोग की गई धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं वित्तीय तथा भौतिक प्रगति के साथ ही सन्तोषजनक गुणवत्ता की आख्या के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत कर आगामी किशतें अवमुक्त करायी जानी है। आगामी किशतों के अवमुक्त हेतु इस पत्र के साथ प्रारूप संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है, जिन पर प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना है। निर्माण कार्य के गुणवत्ता की निरीक्षण आख्या जिलाधिकारी/अध्यक्ष द्वारा गठित/गठन कर जनपदीय टास्कफोर्स के माध्यम से कराया जाना है। गुणवत्ता आधारित निरीक्षण आख्या आगामी किशतें अवमुक्त हेतु उपलब्ध कराना अपरिहार्य है।

अतः शहरी बेघरों हेतु स्वीकृत परियोजनाओं के आगामी किशतों के अवमुक्त हेतु प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर राज्य मिशन प्रबन्धन इकाई (SMMU) को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करायें, ताकि परियोजनाएं समय से पूर्ण हो सकें। प्रकरण के मा० उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन होने के दृष्टिगत त्वरित गति से निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)  
मिशन निदेशक



दूरभाष-2286709

2286711

राज्य नगरीय विकास अभिकरण उ०प्र० लखनऊ  
नवचेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ- 226001

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. सचिव, नगर विकास, उ०प्र० शासन।
2. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ०प्र० शासन।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०।
4. निदेशक सी०एण्ड डी०एस०, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
5. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ, कानपुर नगर, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, वाराणसी, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, इलाहाबाद, सहारनपुर, गोरखपुर, फिरोजाबाद एवं झांसी।
6. सम्बन्धित परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, डूडा को अनुपालनार्थ प्रेषित।
7. सहायक वेबमास्टर, सूडा उ०प्र० को उल्लिखित सभी प्रारूप "SUH के अन्तर्गत आगामी किशतों के अवमुक्त हेतु प्रारूप" के नाम से वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)  
मिशन निदेशक

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक 'आश्रय योजना'तर्गत आगामी किशत हेतु प्रारूप

शहर का नाम -

स्वीकृत आश्रय का प्रकार-

निर्माण कार्य की स्वीकृत समय सीमा-

नया निर्माण/उच्चिकरण

जनपद-

स्वीकृत आश्रय में शहरी बेघरों की संख्या -

स्वीकृत संख्या एवं दिनांक-

(धनराशि ₹० लाख में )

क्रम/क	स्वीकृत लागत			सूझ से प्राप्त धनराशि दिनांक सहित	कार्यदायी संस्था से एमओयू/एओ करने की तिथि	कार्यदायी संस्था को अवमुक्त धनराशि एवं दिनांक	कार्यदायी संस्था द्वारा उपभोग की गई धनराशि	कार्यदायी संस्था द्वारा सूझ में प्रेषित उपयोगिता प्रमाण पत्र की धनराशि एवं दिनांक	सूझ द्वारा सूझ को प्रेषित उपयोगिता प्रमाण पत्र की धनराशि एवं दिनांक	अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष सूझ को प्रेषित उपयोगिता प्रमाण पत्र की धनराशि का प्रतिशत	अवमुक्त धनराशि के धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति का प्रतिशत	आगामी किशत की धनराशि		
	निर्माण कार्य संचालन व्यवस्था	सेन्टेज	लेवर सेस											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

भौतिक प्रगति

निर्माण कार्य की प्रगति का प्रतिशत स्वीकृत के सापेक्ष		(धनराशि ₹० लाख में )											
शेल्डर होम का निर्माण	अन्तरिक अवस्थापना सुविधाएं	कुल निर्माण कार्य की प्रगति	स्वीकृत के सापेक्ष मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता का प्रतिशत (अलग से सीट पर विवरण उल्लेख करें)	सम्पूर्ण निर्माण कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि	शेल्डर होम के हस्तगत किये जाने की सम्भावित तिथि	जनपदीय टास्क फोर्स के द्वारा गत निरीक्षण की तिथि व निरीक्षण आख्या सूझ को भेजने की तिथि (निरीक्षण आख्या संलग्न करें)	आश्रय योजना स्वीकृत के समय लगाई गयी शर्तों की अनुपालन आख्या भेजने की तिथि (अनुपालन आख्या की प्रति संलग्न करें)	अन्य विवरण	20	21	22	23	24
16	17	18	19	20	21	22	23	24					

प्रमाणित किया जाता है कि शेल्डर होम का निर्माण कार्य स्वीकृत लागत के अनुसार किया जा रहा है तथा निर्माण कार्य स्वीकृतानुसार ही पूर्ण किया जायेगा।

परियोजना प्रबन्धक  
सी०एण्ड डी०एस

स०परि० अ० / परि०  
अधिकारी,  
सूझ

सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर  
/ परि० निदेशक  
सी०एण्ड डी०एस सूझ

जिलाधिकारी / अध्यक्ष  
सूझ